संख्या-08/2023/1932/छप्पन-2022-12/2013

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2023

विषय: गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर गोरखपुर सिविल एयरपोर्ट के विकास हेतु रक्षा विभाग की भूमि के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान की गई अनुमति की शर्त के अनुपालन में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 210/आर0सी0एस0-2022-जी-1/2019 दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर गोरखपुर सिविल एयरपोर्ट के विकास हेतु रक्षा विभाग की भूमि हेतु प्रदान की गयी अनुमति की शर्त के अनुपालन हेतु रू0 76,66,96,880/- (रूपए छिहत्तर करोड़ छाछठ लाख छियानवे हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन हेतु जारी करने तथा आनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से बजट आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवर सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 13013/15/2022/D(Lands) दिनांक 27 अक्टूबर, 2022 के अन्तर्गत गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर गोरखपुर सिविल एयरपोर्ट के विकास हेतु रक्षा विभाग की 17.058 हैक्टेयर (42.14 एकड़) भूमि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई अनुमति के अन्तर्गत निम्नलिखित का भी उल्लेख किया गया है:-

State Govt. of UP shall pay Rs. 76,66,96,880/- as cash compensation in lieu of 42.14 acres of defence land being transferred for the subject proposal.

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पर गोरखपुर सिविल एयरपोर्ट के विकास हेतु रक्षा विभाग की भूमि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान की गई अनुमति की शर्त के अनुपालन हेतु रू0 76,66,96,880/- (रूपए छिहत्तर करोड़ छाछठ लाख छियानवे हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(8) सम्बन्धित भूमि जिसके लिए धनराशि निर्गत की जा रही है, उसके स्वामित्व हस्तान्तरण हेतु कार्यवाही निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा की जाएगी।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 76,66,96,880/- (रूपए छिहत्तर करोड़ छाछठ लाख छियानवे हजार आठ सौ अस्सी मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गोरखपुर के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा रक्षा सम्पदा अधिकारी (मो0 समीर इस्लाम), रक्षा सम्पदा कार्यालय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के फाइल संख्या DEO/ALD/TFR/IAF/42.14 Ac/1/ दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रश्नगत धनराशि रक्षा सम्पदा कार्यालय के निम्नलिखित लोकनिधि खाता में जमा कराई जाएगी:-

Public Fund Account No.	10088645171
Account holders Name	Defence Estates Officer, Allahabad Circle
IFSC Number	SBIN0003166
Complete address of the Bank	State Bank of India, Defence Banking Branch, 10, Ponappa Road, Cantonment, Allahabad-211001.

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा रक्षा सम्पदा कार्यालय के लोकनिधि खाता में जमा कराई गई धनराशि से सम्बन्धित प्रमाण निदेशक, नागरिक उड्डयन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-241/दस-2022-23, दिनांक 13 जनवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या-08/2023/1932(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- संयुक्त सचिव (भूमि एवं निर्माण) (श्री राकेश मित्तल), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 234, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110003.
4- अवर सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 13013/15/ 2022/D(Lands) दिनांक 27 अक्टूबर, 2022 के सन्दर्भ में।
5- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
6- जिलाधिकारी, गोरखपुर
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
8- रक्षा सम्पदा अधिकारी (मो0 समीर इस्लाम),रक्षा सम्पदा कार्यालय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के फाइल संख्या DEO/ALD/TFR/IAF/42.14 Ac/1/ दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 के सन्दर्भ में।
9- एयर ऑफिसर कमाण्डिंग, 17 विंग, एयरफोर्स स्टेशन, गोरखपुर।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
11- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।